रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 291] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 1974/अग्रहायण 12, 1896
No. 291] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 1974/AGRAHAYANA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd December 1974

SUBJECT.—*Import Policy for the year April 1974—March 1975*

No. 182-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the import policy as contained in the Impect Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1974—March, 1975.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1974—March 1975 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
1	2	3
44	Section II, S. No. 38/II, column 4.	The following new remark may be deemed to have been added — "(4) A.U. for import of presspahn paper suitable for manufacture of hermetic sealed compressors for refrigerators."

1	2	3
45	Section II, S. No. 38-A(f)/II, Column 4, remark (1), item No. (iv).	*For* the existing description "High pressure sodium vapour lamps." *Read* "Sodium vapour lamps (Low and High pressure type)."
50	Section II, S. No. 1/IV, column 4, remark 3.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "3. Applications for import of poultry will be considered by the CCI&E, New Delhi on the recommendation of Ministry of Agriculture (Department of Agriculture)."
191	Section V, Appendix 21	Below the paragraph 13, the following new paragraph 14 may be deemed to have been inserted:— "14. Books imported into India under arrangements approved by the Government and which are meant only for use in the country, shall not be allowed to be re-exported. Licences granted for import of books shall be deemed to be subject to this condition and any re-export of such imported books shall be a violation of the condition of the import licence and liable to action under the Import and Export Trade Control Regulation."
281	Section V, Appendix 41, Schedule 'D', S. No. 11, column 2.	*For* the existing entry "BP sheets below 5mm in thickness (hot rolled/cold rolled) :" *Read* "BP sheets below 5 mm in thickness (hot rolled/cold rolled), *including wide strips in coils*:"
353	Section V, Appendix 74, S. No. 7-A(b)/II, column 1, 2 and 3	This S. No. and the entries relating thereto appearing in columns 2 and 3 may be deemed to have been deleted.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

. नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1974

विषय.—अप्रैल, 1974–मार्च 1975; वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं० 182-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—अप्रैल, 1974–मार्च 1975 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा०–1) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2 अप्रैल, 1974-मार्च, 1975 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा०-1) में उपर्युक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

रेडबुक (वा०-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
1	2	3
44	खंड 2, क्रम सं० 38/2, कालम 4	निम्नलिखित नई अभ्युक्ति जोड़ी गई समझी जाए :— "(4) रेफ्रीजरेटरों के लिए वायुरुद्ध बन्द सम्पीडकों के विनिर्माण के लिए उपयुक्त प्रेसपाहन पेपर के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता।"
45	खण्ड-2, क्रम सं० 38—ए (एफ)/2, कालम 4, अभ्युक्ति (1), मद सं० (4)	विद्यमान विवरण "हाई प्रेशर सोडियम पेपर लैम्प्स" के लिए। "सोडियम पेपर लैम्प्स (लो और हाई प्रेशर टाइप)" पढ़ें।
50	खण्ड 2, क्रम सं० 1/4, कालम 4, टिप्पणी—3	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "3. मुर्गा-मुर्गी के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात नई दिल्ली द्वारा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की सिफारिश पर विचार किया जाएगा।
191	खण्ड 5 परिशिष्ट 21	कंडिका 13 के नीचे निम्नलिखित नई कंडिका 14 को जोड़ा गया समझा जाए :— "14. सरकार द्वारा अनुमोदित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत में आयातित ऐसी पुस्तकों के लिए जो केवल देश में ही प्रयोग की जाते हैं, पुनः निर्यात करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

1	2	3
		पुस्तकों के आयात के लिए स्वीकृत किए गए लाइसेंस इस शर्त के अधीन होंगे और ऐसी आयातित पुस्तकों का कोई भी पुनः निर्यात आयात लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन होगा और आयात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।"
281	खण्ड 5 परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी' क्रम सं० 11, कालम 2	वर्तमान प्रविष्टि "मोटाई में 5 एम एम से कम बी पी शीट्स (हाट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड)" **के लिए** :— "**कायल में वाइड स्ट्रिप्स सहित** मोटाई में 5 एम एम से कम बी पी शीट्स (हाट रोल्ड/कोल्ड) **पढ़ें**।
53	खण्ड 5, परिशिष्ट 74, क्रम सं० 7-ए (बी)/2, कालम 1, 2 एवं 3	कालम 2 एवं 3 में दिखाई गई क्रम सं० और इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को हटाया गया समझा जाए।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
BY OF 1974